

संख्या 15/3/2015-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2015

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न सरकारी वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किये जाने के संबंध में इस मंत्रालय में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2. राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग/प्रदर्शन/ध्वजारोहण को भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, द्वारा विनियमित किया जाता है। जो इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।

3. अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने वेबसाइट एवं अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के समुचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम एवं संहिता का कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीया,

श्यामला मोहन

(श्यामला मोहन)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष : 2309 2587

प्रति प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
13. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
14. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
15. 20 अतिरिक्त प्रतियां।